P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सहकारिता : जनपद एटा (उ0प्र0) के विशेष संदर्भ में

आशुतोष मिश्र
असिस्टेण्ट प्रोफेसर,
अर्थशास्त्र विभाग,
नेशनल पी0जी0 कालेज,
भोगाँव, मैनपुरी

सारांश

प्रस्तुत शोध–प्रपत्र में उ0प्र0 के जनपद एटा के ग्रामीणों एवं कृषकों के आर्थिक उन्नयन के संदर्भ में सहकारिता के योगदान का मूल्याँकन कर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि सहकारी समितियों एवं बैंकों के सहयोग से ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जिससे सहकारिता के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। वे अब क्षेत्र के साहूकारों एवं कर्जदाताओं के शोषण से पूर्णतः मुक्त होते हुए उन्नतिशील जीवन जीने लगे हैं। जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीणों ने लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों आदि का कुशल क्रियान्वयन करने में रुचि ली है। फलतः ग्रामीण न केवल आर्थिक क्षेत्र में प्रत्युत अन्य अनगिनत क्षेत्रों में अनवरत रूप से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। अतः सहकारिता आन्दोलन ने ग्राम्य जीवन की परम्परागत तस्वीर को बदलकर अति उन्नतशील परिदृश्य प्रस्तुत किया है। सहकारिता का यह क्रान्तिकारी कदम सम्प्रति उपादेय है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण, अर्थव्यवस्था, आन्दोलन

प्रस्तावना

सहयोग एवं संघर्ष मानव व्यवहार के प्रमुख दो नियामक हैं। मानव का व्यक्तित्व इन्हीं दो निर्देशांकों के द्वारा मूल्यांकित किया जाता है। सहयोग जीवन का सकारात्मक पक्ष है, जबकि संघर्ष मानव व्यवहार का प्रतिपक्ष अर्थात् नकारात्मक पक्ष है। मनीषियों का यह मानना है कि उक्त दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सहयोग के व्यक्ति संघर्ष का एवं बिना संघर्ष के सहयोगात्मक संदर्भों का वास्तविक संज्ञान नहीं हो सकता है। इसी अवधारणा के आधार पर सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ; जिसके विषय में बी.एस. माथुर(1991)[1] ने संकेत किया है कि सहकारिता जीवन की एक संहिता है। जिन लोगों को प्रकृति ने एकाधिक उन्नतिशील स्थिति प्रदत्त की है, साथ ही ऐसे लोगों में क्षमता की मात्रा का वर्चस्व है; उनसे यह अपेक्षित है कि वे कम क्षमता वाले विपन्न लोगों की अधिकाधिक सहायता करें। इसी तरह के विचारों को अभिव्यक्त करते हुए टी. एन. माथुर (1993)[2] कहते हैं कि सहकारिता का प्रमुख आधार है मेल–जोल की पारस्परिक भावना, जिसके अधीन रहकर हम ऐसे समस्त बड़े से बड़े तथा जटिलतम कार्य एवं समस्याएँ भी निपटा लेते हैं। जिन्हें किसी अकेले व्यक्ति द्वारा सम्पन्न करना न केवल असम्भव प्रत्युत अत्यन्त दुष्कर होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए तथा सभी प्रत्येक के लिए की भावना गर्भित होती है। यहाँ विभेदीकरण, पक्षपात या वर्ग भेदभाव का कोई भी स्थान नहीं होता है।

साहित्यावलोकन

इस संदर्भ में एम.टी. हेरिक (1955) स्पष्ट करते हैं कि ''सहकारिता स्वेच्छा से अपनी स्वयं की शक्तियों साधन–स्रोतों, अथवा अपनी आपसी व्यवस्था के अन्तर्गत दोनों को उनके सामान्य लाभ या हानि को परस्पर उपयोगी बनाने के लिए संगठित निर्धन व्यक्तियों का कार्य है''।[3] इसी अवधारणा को बल देते हुए लैम्बर्ट (1961) स्पष्ट करते हैं कि ''सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो उपभोक्ताओं के संघ द्वारा संगठित तथा निर्देशित की जाती है। इसके अन्तर्गत लोकतंत्र के नियम लागू होते हैं और इसका उद्‌देश्य अपने सदस्यों तथा सम्पूर्ण समुदाय की सेवा करना होता है।''[4] सहकारिता के स्वामित्व के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए वी.पी.मित्तल (1999) ने लिखा है कि सहकारिता के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं का स्वामित्व किसी एक या कतिपय इने–गिने व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जाता है बल्कि यह स्वामित्व काफी बड़ी संख्या में इन संस्थाओं के सदस्यों अर्थात् साझीदारों के हाथों में ही होता है।[5] श्री शरण (1990) ने सहकारिता के सम्प्रत्यय को समाजवादी अथवा मानवतावादी के रूप में

माना है।[6] सहकारिता से सम्बद्ध सदस्यों का प्रमुख उद्देश्य व्यापार से निजी मुनाफा न कमाना तथा सदस्यों की अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करना होता है जो भी लाभ उपार्जित होता है उसे सदस्यों के मध्य ही वितरित किया जाता है। निष्कर्षतः सहकारिता के विचार का प्रारम्भ ही मूलतः समाजवादी अथवा मानवतावादी माना जाना चाहिए।

जहाँ तक सहकारिता के उद्भव का संदर्भ है यह माना जाता है कि मूलतः इसकी जन्म स्थली जर्मन एवं इंग्लैण्ड ही है किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था रूपी जलवायु में यह अच्छी तरह पुष्पित–पल्लवित होकर वट वृक्ष बन गई जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। एन0सी0ए0ई0आर0(1972)[7] एवं आर.सी.अरोड़ा(1986)[8] का संकेत है कि सन् 1878 में कर्जदारों एवं साहूकारों के मध्य होने वाले आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारतवर्ष में 1904 में सहकारिता ने जन्म लिया। सहकारी समितियों के कुशल संचालन एवं नियंत्रण हेतु सहकारिता अधिनियम 1904 में पारित किया गया और पंजीयक सहकारी समितियों को सर्वेसर्वा मान लिया गया। सम्प्रति यह अपने सफल जीवन के एक शताब्दी से अधिक वर्ष पूर्ण करने पर भारतीय अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत लेख में उत्तर प्रदेश के जनपद एटा स्थित आठ सामुदायिक विकास खण्डों यथा– जलेसर, अवागढ़, मारहरा, निधौली कलां, शीतलपुर, सकीट, जैथरा एवं अलीगंज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में सहकारिता के विविध पक्षों की भूमिका का संक्षिप्त विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है। बी.एच. चौबे(1968)[9] की कृति 'प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रैक्टिस आफ कोआपरेटिव बैंकिंग इन इण्डिया' के आधारभूत सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधृत क्षेत्र के आर्थिक विकास में मुख्य रूप से विभिन्न सहकारी समितियों एवं बैकों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है। इस संदर्भ में सी0चनाना(1979)[10] द्वारा प्रस्तुत 'एग्रीकल्चरल फाइनेन्स इन इण्डिया : रोल आफ कामर्शियल बैंक्स' से सम्बन्धित सिद्धान्तों का भी सहारा लेकर मुख्य रूप से विभिन्न प्रकृति की सहकारी समितियों (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ, प्राथमिक सहकारी समितियाँ) आदि के साथ–साथ जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, जिला सहकारी बैंक आदि द्वारा प्रदत्त वित्तीय सुविधाओं से ग्रामीण जनता अपनी कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु प्रयासरत है। उनमें से कतिपय प्रमुख तथ्यों एवं पक्षों को यहाँ उजागर किया जा रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक प्रतीत होता है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ई0एच0कैलवर्ट(1967)[11] ने अपनी पुस्तक ''ला एण्ड प्रैक्टिस आफ कोआपरेशन'' के माध्यम से जिन प्रमुख पक्षों का उल्लेख किया है वे अत्यन्त उपयोगी प्रतीत हुये तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन को समझने में सहायक हुए हैं।

प्रयुक्त शोध पद्धतिशास्त्र

प्रस्तुत शोध–पत्र मेरे शोध–प्रबन्ध का एक लघु खण्ड है जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में सहकारिता के योगदान से सम्बन्धित प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों का आश्रय लेकर उन्हें वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित एवं सामान्यीकृत करने का प्रयास विश्लेषणात्मक शोध प्रचना द्वारा किया गया है।

प्राप्त समंकों का सारणीयन एवं विश्लेषण

अध्ययन द्वारा प्राप्त तथ्यों को एकत्र कर सारणीकृत किया गया है तथा वैज्ञानिक विधि से निम्नवत विश्लेषित किया गया है–

तालिका संख्या–1

जनपद एटा की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का विवरण

क्र.सं.	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	संख्या	66	68	68
2	सदस्यों की संख्या	65855	168186	168481
3	अंश पूँजी (,000 रू0)	65334	73074	77290
4	कार्यशील पूँजी (,000 रू0)	543406	690783	729462
5	जमा धनराशि (,000 रू0)	3560	3560	3560

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष सदस्यों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ तक जनपद एटा की प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की अंश पूँजी एवं कार्यशील पूँजी की प्रकृति का प्रश्न है, इसमें भी आशातीत वृद्धि परिलक्षित हो रही है, जबकि जमा धनराशि प्रत्येक वर्ष में समान है। इस प्रकार निष्कर्षतः प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ जनपद एटा की अर्थव्यवस्था के उन्नयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। इसी प्रकार तालिका संख्या 2 से स्पष्ट होता है कि जनपद एटा के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-9* May- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

तालिका संख्या–2

जनपद एटा के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण

क्र.सं	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	वितरित अल्पकालीन ऋण(,000 रू0)	474076	612149	652132
2	वितरित मध्यकालीन ऋण (,000 रू0)	0	0	0
3	समितियों के अन्तर्गत ग्राम	855	855	855
4	सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक द्वारा वितरित ऋण (,000 रू0)	43798	73119	87128
5	सहकारी बैंक शाखाएँ	20	14	14

स्रोत–सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ एटा (2016)[12]

सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ एटा भी निरन्तर अर्थव्यवस्था के उन्नयन में सहायक हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत जनपद के कुल 855 ग्राम लाभान्वित हो रहे हैं। तीनों वर्षों में बैंक द्वारा वितरित अल्पकालीन ऋण में वृद्धि हुई है। रमेश चन्द्र (2016)[13]

तालिका संख्या–3

जनपद एटा के सहकारी बैंकों का विवरण

क्र.सं	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	शाखाएँ	20	21	21
2	सदस्यता	202	293	293
3	हिस्सा पूँजी (,000 रू0)	95380	109278	124075
4	कार्यशील पूँजी (,000 रू0)	2096600	2561544	2602941
5	अल्पकालीन ऋण वितरण (,000 रू0)	481447	835381	861751
6	मध्यकालीन ऋण वितरण (,000 रू0)	10533	57532	52241

स्रोत– प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक, एटा (2016)[14]

जनपद एटा के सहकारी बैंकों का विवरण ग्राम्य अर्थव्यवस्था के उन्नयन के संदर्भ में तालिका संख्या–3 में जिस रूप में प्रदर्शित है, उससे यही संकेत मिलता है कि विगत वर्षों में कार्यशील पूँजी में निरन्तर वृद्धि हुयी है। परिणामतः अल्पकालीन ऋण एवं मध्यकालीन ऋण वितरण के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ा है, जिससे ग्राम्य अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती प्रतीत हो रही है।

तालिका संख्या–4

जनपद एटा के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की स्थिति

क्र.सं	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1	शाखाएँ	5	5	5
2	सदस्यता	58737	67632	68317
3	हिस्सा पूँजी (,000 रू0)	64390	67020	70659
4	कार्यशील पूँजी (,000 रू0)	308350	419312	493392
5	ऋण वितरण (,000 रू0)	43798	73119	87128

स्रोत– प्रबन्धक सह कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक एटा (2016)[15]

उपरोक्त तालिका में जनपद एटा के सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों का विगत तीन वर्षों का लेखा–जोखा यह स्पष्ट करता है कि लोगों की सदस्यता, हिस्सा पूँजी, कार्यशील पूँजी के सापेक्ष होने वाली वृद्धि तथा बैंकों द्वारा ऋण वितरण के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, जिससे निर्धन वर्ग का शोषण कम हो रहा है तथा वे स्वावलम्बन प्रक्रिया द्वारा समाज की मुख्य धारा से भी जुड़ते जा रहे हैं।

तालिका संख्या–5

जनपद एटा की अन्य सहकारी समितियों का विवरण

क्र.सं	सहकारी समितियों की प्रकृति एवं मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16
1–क्रय–विक्रय सहकारी समितियाँ				
अ. संख्या		3	3	3
ब. सदस्य संख्या		33386	3338	3338
स. वर्ष में लेन–देन की गई वस्तुओं का मूल्य (,000रू0)		34551	32389	25915
2– प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियाँ				
अ. संख्या		260	95	45
ब. सदस्य संख्या		10920	3325	1575
स. कार्यशील पूँजी (,000रू0)		2317	4600	8493
द. वर्ष में विक्रय किये गये उत्पादन का मूल्य (,000रू0)		943006	5917	10122

3– मत्स्य सहकारी समितियाँ

अ. संख्या	2	2	2
ब. सदस्य संख्या	58	58	58
स. कार्यशील पूँजी (,000रू0)	3860	3360	3360
द. वर्ष में विक्रय किये गये मत्स्य का मूल्य (,000रू0)	500	400	400

स्रोत– सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ एटा (2016)[16]

स्रोत – उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एटा (2016)[17]

जनपद एटा की अर्थव्यवस्था को समुन्नत बनाने हेतु अन्य सहकारी समितियाँ भी सक्रिय हैं। इनमें प्रमुख रूप से क्रय–विक्रय सहकारी समितियों, प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियों एवं मत्स्य सहकारी समितियों को सर्वाधिक उपयोगी पाया गया है। तालिका संख्या 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2013–14 में प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियों द्वारा विक्रीत उत्पादन का मूल्य सर्वाधिक है, दूसरे स्थान पर क्रय–विक्रय समितियों द्वारा लेन देन की गई वस्तुओं का मूल्य है, जबकि मत्स्य सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी 2013–14 में दुग्ध उत्पादन समितियों की तुलना में अधिक है। अतः ग्राम्य अर्थव्यवस्था के सुचारु व्यवस्थापन में सहकारी समितियों के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। सहायक निदेशक एटा (2016)[18]

सहकारिता के उन्नयन में पंचवर्षीय योजनाओं के योगदान के विषय में दिनेश चन्द्र (1972)[19] का मत है कि सम्प्रति पंचवर्षीय योजनाओं ने सहकारिता को नूतन स्वरूप प्रदान किया है। ग्रामीण आर्थिक परिदृश्यों (ढांचों) को नयी शक्ति प्रदान करने का श्रेय सहकारिता को ही है। कृषि व्यवसाय और ग्राम्य उत्थान के कार्य में सहकारिता आज महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रही है जैसे सामन्तवादी शोषण प्रथा का ह्रास, महाजन के प्रभुत्व में कमी, भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं में कमी, आर्थिक विकास की गति में तीव्रता, ग्रामीण विकास योजनाओं के बढ़ते कदम, कृषि भूमि एवं ग्रामीण आर्थिक ढाँचें में स्थायी सुधार, मध्यस्थों एवं दलालों द्वारा शोषण का अन्त, पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन, सार्वजनिक कार्यों में सहायक, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं विचारधारा की स्थापनाएँ, मानवीय एवं नैतिक गुणों का विकास, आर्थिक–सामाजिक चेतना में विकास तथा राजनैतिक चेतना का विकास आदि। टी0एस0सेठी (1985)[20]

सामान्यीकरण

अन्त में यही कहा जा सकता है कि सहकारिता आन्दोलन ने एटा जनपद में सम्पूर्ण ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक ढाँचे में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय प्राप्त किया है। ग्रामीण जीवन की भयंकर गरीबी, बेकारी एवं भूमिहीन श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावशाली कदम उठाये हैं। ग्रामीण व्यक्ति को कम ब्याज पर ऋण एवं लघु–उद्योगों का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलम्बी बनने की प्रेरणा दी है।

कुछ सुझाव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में दिये जा रहे सहकारिता के योगदान को अधिक प्रभावी बनाने हेतु कुछ सुझाव निम्नवत हैं–

1. सहकारी बैंक की पूँजी में वृद्धि, ऋण नीति में सुधार, सहकारी सदस्य समिति के लोगों को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों का बोध होना चाहिए।
2. सहकारी साख समितियों के कार्याचलन में सुधार लाने हेतु उनका पुनर्गठन एवं नवीनीकरण होना चाहिए।
3. निहित स्वार्थों का उन्मूलन होना चाहिए।
4. लघु कृषकों की बेहतर सेवा की जानी चाहिए।
5. क्रिया सम्बन्धी औपचारिकताओं में कमी रहनी चाहिए।

मूल सम्प्रत्यय

प्रस्तुत प्रपत्र में प्रयुक्त प्रमुख सम्प्रत्यय निम्नलिखित हैं–

कृषक

एक कृषक वह है जो एक ग्रामीण है, एक देहाती है जिसका व्यवसाय ग्रामीण कार्य है और एक कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिकों का समूह आता है।

निर्धनता

निर्धनता एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थ्य एवं शरीर सम्बन्धी दक्षता नहीं बनी रहती है।

परिवार

परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं। रक्त द्वारा सम्बन्धित हैं और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य बोध के आधार पर समान होने की चेतना या भावना रखते हैं।

ग्राम

इसे ग्रामीण समुदाय भी कहते हैं। सामान्यतः ग्राम एक ऐसा समुदाय है जहाँ अपेक्षाकृत अधिक समानता, प्राथमिक समूहों की प्रधानता, जनसंख्या का कम घनत्व तथा कृषि व्यवसाय की प्रधानता होती है।

अर्थव्यवस्था

सामाजिक समूहों और मानवों की भौतिक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए स्रोतों तकनीकी एवं कार्य को संगठित करने का जो तरीका है उसे ही एक अर्थव्यवस्था कहते हैं।

व्यवसाय

सामान्यतः व्यवसाय, पेशा या आजीविका एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। व्यवसाय का अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से होता है जो मनुष्य द्वारा धनोत्पादन के उद्देश्य से की जाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *माथुर, बी0एस0, भारत में सहकारिता, साहित्य भवन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा0लि0 आगरा–1999*

2. माथुर, टी0एन0, भारतीय बैकिंग प्रणाली, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर–1993
3. हैरिक, एम0टी0, रूरल क्रेडिट, रटलेच एण्ड केगनपाल, लन्दन 1955
4. लैम्बर्ट, पाल, स्टडीज इन द सोशल फिलासोफी आफ कोआपरेशन, एम0सी0 ग्रा0 हिल बुक कम्पनी लन्दन–1961
5. मित्तल, वी0पी0, सहकारिता, देश तथा विदेश में, संजीव प्रकाशन, मेरठ–1999
6. श्री शरण, पंचायती राज एवं लोकतंत्र, पाण्डुलिपि प्रकाशन, दिल्ली–1990
7. एन.सी.ए.ई.आर., इफेक्टिवनेश आफ कोआपरेटिव क्रेडिट फार एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, नयी दिल्ली–1972
8. अरोड़ा, आर0सी0, इन्टीग्रेटेड रूरल डेवलपमेण्ट, एस. चांद एण्ड कम्पनी लिमिटेड नई दिल्ली– 1986
9. चौबे, बी0एच0, प्रिन्सिपल्स एण्ड प्रेक्टिस आफ कोआपरेटिव बैकिंग इन इण्डिया, एशिया पब्लिशिंग हाउस बॉम्बे–1968
10. चनाना, सी0, एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इण्डियाः रोल आफ कामर्शियल बैंक्स, इकोनोमिक रिसर्च ब्यूरो, नई दिल्ली–1979
11. कैलवर्ट, ई0एच0, ला एण्ड प्रैक्टिस ऑफ कोआपरेशन, एशिया पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली–1967
12. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, सांख्यिकीय पत्रिका जनपद एटा–2016
13. रमेश चन्द्र, सांख्यिकीय पत्रिका, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, जनपद एटा–2016
14. प्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक, सांख्यिकीय पत्रिका जनपद एटा–2016
15. प्रबन्धक, सह कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, राज्य नियोजन संस्थान एटा, उत्तर प्रदेश–2016
16. सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, जनपद एटा– 2016
17. विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला–प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादन समितियाँ, जनपद एटा–2016
18. सहायक निदेशक, मत्स्य सहकारी समितियाँ, कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, जनपद एटा–2016
19. दिनेश चन्द्र, एग्रीकल्चरल फाइनेंस बाई कामर्शियल बैंक्स वी0एम0आई0 सी0एम0 पूना 1972
20. सेठी, टी0एस0, मुद्रा एवं बैंकिंग, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एण्ड सन्स पब्लिशर्स, आगरा–1985